



Govt. Degree College, Timarni, District – Harda (M.P.)

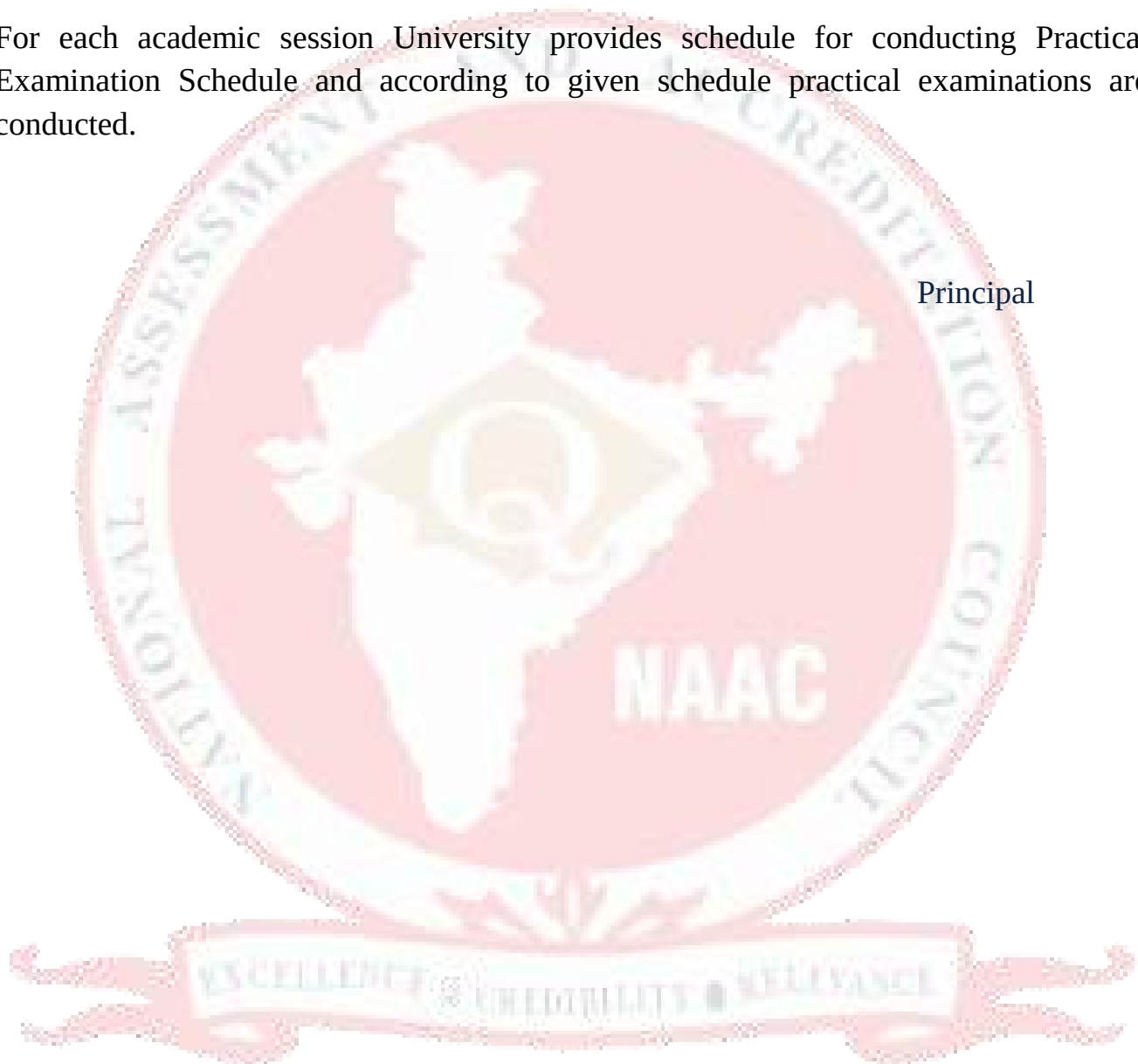
[3208], NAAC STATUS "B", REGISTER WITH UGC UNDER 2(F) AND UNDER 12(B)
Web Address of college: <http://www.gdctimarni.in> Contact No. 07573-292018



Self Declaration

For each academic session University provides schedule for conducting Practical Examination Schedule and according to given schedule practical examinations are conducted.

Principal





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: 168 /गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक/2022

भोपाल, दिनांक: 15-3-2022

// अधिसूचना //

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालय ।

विषय: वार्षिक पद्धति स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष सत्र 2021-22 की प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी परीक्षाएँ आयोजित कर अंक प्रेषित करने संबंधी।

महोदय/महोदया,

विषयान्तर्गत राज्य शासन द्वारा घोषित अकादमिक कैलेंडर के पालनार्थ वार्षिक पद्धति के अन्तर्गत सत्र 2021-22 स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षाएँ दिनांक 31.03.2022 तक आयोजित की जाना निर्धारित किया गया है। प्रथम वर्ष के लिए प्रायोगिक परीक्षा आयोजन अधिसूचना पृथक से जारी की जावेगी। कृपया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों के सहयोग से निर्धारित तिथि तक प्रायोगिक परीक्षाएँ आयोजित कर अंक प्रविष्टि विश्वविद्यालय के वेब प्रकोष्ठ द्वारा आपके महाविद्यालय हेतु निर्धारित लिंक के माध्यम से विश्वविद्यालय वेब साइट www.bubhopal.ac.in पर परीक्षा आयोजन तिथि को ही अपलोड करवाने का कष्ट करें। सर्वप्रथम सेमेस्टर पद्धति के अन्तर्गत प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर (एटीकेटी) की प्रायोगिक परीक्षाएँ वार्षिक पद्धति स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए नियुक्त बाह्य परीक्षक से ही कराई जाए। प्रायोगिक परीक्षाएँ पर्ण/प्रतिपर्ण (foil/counter foil) केवल निर्धारित प्रपत्र पर आंतरिक परीक्षक एवं बाह्य परीक्षक के नाम, मोबाइल क्रमांक पते एवं हस्ताक्षरों के साथ प्रस्तुत किये जावें इनके अभाव में अंक स्वीकार्य नहीं होंगे।

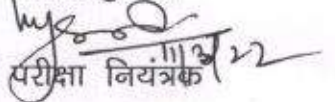
- (1) स्नातक स्तर पर संचालित एक संकाय के समान विषय एवं समान पाठ्यक्रम के विभिन्न श्रेणी जैसे नियमित/स्वाध्यायी की प्रायोगिक परीक्षाएँ एक साथ सम्पन्न की जानी है, किन्तु प्रत्येक समूह की अधिकतम छात्र संख्या 120 (एक सौ बीस) से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- (2) प्रायोगिक परीक्षा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की छाया प्रति बाह्य परीक्षक के मानदेय देयक/देयकों के साथ भुगतान हेतु आवश्यक रूप से सलग्न कर प्रस्तुत करना होगा (ज्ञातव्य है कि गोपनीय शाखा में प्राप्त होने वाले अधिकांश देयक इस पुष्टि के बिना प्रस्तुत किये जाते हैं कि संबंधित परीक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की गयी है)।
- (3) प्रत्येक विषय की प्रायोगिक परीक्षाओं के नियमित/ स्वाध्यायी विद्यार्थियों के प्राप्तांक विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र में श्रेणीवार पृथक-पृथक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ही विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा की ओर प्रेषित किये जावें।
- (4) प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करायी जाने के उपरांत निर्धारित प्रपत्र के नियत स्थान पर बाह्य परीक्षक का नाम एवं मोबाइल क्रमांक की जानकारी आवश्यक रूप से अंकित की जावे जिससे आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक पुष्टि की जा सके।
- (5) समस्त महाविद्यालयों को विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है, कि वे विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथि में ही प्रायोगिक परीक्षाएँ संपन्न करवाकर अंक निर्धारित तिथियों तक ऑनलाइन निर्धारित लिंक पर अपलोड करें तथा अकों की कागज प्रति (Hard Copy) भी गोपनीय शाखा में जमा करावें।

- (6) आफ-लाईन माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित छात्र/छात्राओं के प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी अंकों की कागज प्रति (Hard Copy) भी गोपनीय शाखा में जमा करावें।
- (7) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक को प्रायोगिक परीक्षा उपरान्त नियुक्ति पत्र की छाया प्रति एवं महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित देयक के साथ प्रस्तुत किये जाने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन उपरान्त ही भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जावेगी। बिना नियुक्ति पत्र देयक स्वीकार्य नहीं होंगे।

महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों के महाविद्यालय स्तरीय अंक-आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना एवं मौखिकी के अंक भी अनुक्रमांक सहित विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपलोड किये जावें। उक्त समस्त अंकों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निर्धारित लिंक पर प्रविष्टि (upload) किये जाने के साथ-साथ समस्त प्रविष्टि किये गये पर्ण/प्रतिपर्ण की कागज प्रति (Hard copy) में विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में जमा कर निर्धारित प्रपत्र पर (दो प्रतियों में) पावती प्राप्त की जाना अनिवार्य है।

महाविद्यालयस्तरीय परीक्षाओं (प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना कार्य, मौखिक परीक्षा) आदि में अनुपस्थित छात्रों, की सूची की कागज प्रति (hard copy) आवश्यक रूप से दिनांक 05.04.2022 तक गोपनीय शाखा में जमा कर पावती प्राप्त की जावे, जिसके पश्चात् अंक स्वीकार नहीं किये जावेंगे, जिसका पूर्ण दायित्व महाविद्यालय का होगा।

आदेशानुसार,


परीक्षा नियंत्रक

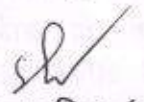
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृ.क्रमांक: 169 /गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक/2022

भोपाल, दिनांक: 15-3-2022

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित कार्य सहायक, गोपनीय शाखा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. सहायक कुलसचिव, (परीक्षा/गोपनीय/अकादमी), बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
3. कुलपतिजी के निज सचिव, के माध्यम से कुलपतिजी के सूचनार्थ।
4. कुलसचिवजी के सचिव, के माध्यम से कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. प्रभारी, वेब प्रकोष्ठ, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की ओर इस निर्देश के साथ कि वे कृपया उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेब पर अपलोड करने के साथ साथ महाविद्यालयों की ई-मेल आई.डी.पर फारवर्ड करें। निर्धारित अंतिम तिथि तक महाविद्यालयों द्वारा ऑन लाईन अपलोड सी.सी.ई./प्रोजेक्ट अंक/मौखिक परीक्षा अंकों की कागज प्रति (Hard copy) आवश्यक रूप से गोपनीय शाखा को उपलब्ध करावें।
6. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, बी विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
7. नस्ती प्रति।


उप-कुलसचिव (गोपनीय),
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: 301 /गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक-/2022

भोपाल, दिनांक: 10/6/22

//संशोधित अधिसूचना//

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालय ।

विषय: नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत वार्षिक पद्धति स्नातक प्रथम वर्ष सत्र 2021-22 की प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी परीक्षाएँ कराकर पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि में संशोधन संबंधी।

संदर्भ: संशोधित अधिसूचना क्रमांक 284-285/गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक/2022 दिनांक: 03.06.22
महोदय/महोदया,

उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के माध्यम से वार्षिक पद्धति स्नातक प्रथम वर्ष 2021-22 की प्रायोगिक/ सीसीई/ परियोजना / मौखिकी परीक्षाएँ आयोजित किये जाने हेतु निर्धारित तिथि 10.06.2022 से बढ़ाकर दिनांक 20.06.2022 तक की जाती है। प्रायोगिक परीक्षाएँ संपन्न कराकर अंक विश्वविद्यालय वेबसाईट पर प्रविष्ट करते हुए पर्ण/प्रतिपर्ण की कागज प्रति (Hard Copy) गोपनीय शाखा में दिनांक 25.06.2022 तक जमा करने का कष्ट करेंगे। निर्धारित तिथि उपरान्त किसी भी परिस्थिति में अंक मान्य नहीं किए जा सकेंगे। जिसकी जवाबदारी स्वयं महाविद्यालय की होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त शर्तें/निर्देश यथावत/पूर्ववत् रहेंगे ।

आदेशानुसार,

परीक्षा नियंत्रक

भोपाल, दिनांक: 10/6/22

पृ.क्रमांक: 302 /गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक-/2022

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित कार्य सहायक, गोपनीय शाखा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. सहायक कुलसचिव, (परीक्षा/गोपनीय/अकादमी), बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।
3. कुलपतिजी के निज सचिव, के माध्यम से कुलपतिजी के सूचनाार्थ ।
4. कुलसचिवजी के सचिव, के माध्यम से कुलसचिव के सूचनाार्थ ।
5. प्रभारी, वेब प्रकोष्ठ, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की ओर इस निर्देश के साथ कि वे सूचना उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेब पर अपलोड करने के साथ साथ महाविद्यालयों की ई-मेल आईडी पर फॉरवर्ड करें । निर्धारित अंतिम तिथि तक महाविद्यालयों द्वारा ऑन लाईन अपलोड सी.सी.ई./प्रोजेक्ट अंक/मौखिक परीक्षा अंकों की कागज प्रति (Hard copy) आवश्यक रूप से गोपनीय शाखा को उपलब्ध करावे ।
6. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, बी विंग, सतपुरा भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनाार्थ ।
7. वस्ती प्रति ।

३१

उप-कुलसचिव (गोपनीय),
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक: 5-5-2022

क्रमांक: 239 /गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक-/2022

//संशोधित अधिसूचना//

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालय ।

विषय: नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत वार्षिक पद्धति स्नातक प्रथम वर्ष सत्र 2021-22 की प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी परीक्षाएँ कराकर पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि में संशोधन संबंधी।

संदर्भ: अधिसूचना क्रमांक 204-205/गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक/2022 दिनांक: 18.04.22

महोदय/महोदया,

उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के माध्यम से वार्षिक पद्धति स्नातक प्रथम वर्ष 2021-22 की प्रायोगिक/ सीसीई/ परियोजना / मौखिकी परीक्षाएँ आयोजित किये जाने हेतु निर्धारित तिथि 10.05.2022 से बढ़ाकर दिनांक 25.05.2022 तक की जाती है। प्रायोगिक परीक्षाएँ संपन्न कराकर अंक विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रविष्ट करते हुए पर्ण/प्रतिपर्ण की कागज प्रति (Hard Copy) गोपनीय शाखा में दिनांक 30.05.2022 तक जमा करने का कष्ट करेंगे। निर्धारित तिथि उपरान्त किसी भी परिस्थिति में अंक मान्य नहीं किए जा सकेंगे। जिसकी जवाबदारी स्वयं महाविद्यालय की होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त शर्तें/निर्देश यथावत/पूर्ववत् रहेंगे ।

आदेशानुसार,
परिक्षा नियंत्रक
भोपाल, दिनांक: 5-5-2022

पू.क्रमांक: 240 /गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक-/2022

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित कार्य सहायक, गोपनीय शाखा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. सहायक कुलसचिव, (परीक्षा/गोपनीय/अकादमी), बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।
3. कुलपतिजी के निज सचिव, के माध्यम से कुलपतिजी के सूचनाय ।
4. कुलसचिवजी के सचिव, के माध्यम से कुलसचिव के सूचनाय ।
5. प्रभारी, वेब प्रवोष्ठ, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की ओर इस निर्देश के साथ कि वे कृपया उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेब पर अपलोड करने के साथ साथ महाविद्यालयों की ई-मेल आई.डी.पर फास्ट करें । निर्धारित अंतिम तिथि तक महाविद्यालयों द्वारा ऑन लाईन अपलोड सी.सी.ई. प्रोजेक्ट अंक/मौखिक परीक्षा अंकों की कागज प्रति (Hard copy) आवश्यक रूप से गोपनीय शाखा को उपलब्ध करेंगे ।
6. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, बी विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनाय ।
7. नस्ली प्रति ।

उप-कुलसचिव (गोपनीय),
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: 243 /गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक/2022

भोपाल, दिनांक: 10/5/2022

//अधिसूचना//

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालय ।

विषय: सेमेस्टर पद्धति (समसेमेस्टर) स्नातकोत्तर द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर, वर्ष 2021-22 की प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट/इर्नशिप एवं मौखिकी परीक्षाएँ आयोजित कर अंक प्रेषित करने संबंधी।

महोदय/महोदया,

विषयान्तर्गत सेमेस्टर पद्धति के अन्तर्गत सत्र 2021-22 स्नातकोत्तर द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएँ दिनांक 10.06.2022 तक आयोजित की जाना निर्धारित किया गया है। कृपया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों के सहयोग से निर्धारित तिथि तक प्रायोगिक परीक्षाएँ आयोजित कर अंक प्रविष्टि विश्वविद्यालय के वेब प्रकोष्ठ द्वारा आपके महाविद्यालय हेतु निर्धारित लिंक के माध्यम से विश्वविद्यालय वेब साइट www.bubhopal.ac.in पर परीक्षा आयोजन तिथि को ही अपलोड करवाने का कष्ट करें। वार्षिक पद्धति में दिए गए बाह्य परीक्षक से ही आगामी स्नातक द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ्य सेमेस्टर (ए.टी.के.टी) की प्रायोगिक परीक्षा भी सम्पन्न कराई जाए। प्रायोगिक परीक्षांक पर्ण/प्रतिपर्ण (foil/counter foil) निर्धारित प्रपत्र में आंतरिक परीक्षांक एवं बाह्य परीक्षक के नाम, पते एवं हस्ताक्षरों के साथ प्रस्तुत किये जावें, इन प्रविष्टियों के अभाव में अंक स्वीकार्य नहीं होंगे।

- (1) स्नातक स्तर पर संचालित एक संकाय के समान विषय एवं समान पाठ्यक्रम के विभिन्न श्रेणी जैसे नियमित/ए.टी.के.टी./पूर्व/स्वाध्यायी की प्रायोगिक परीक्षाएँ एक साथ सम्पन्न की जानी है, किन्तु प्रत्येक समूह की अधिकतम छात्र संख्या 120 (एक सौ बीस) से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- (2) प्रायोगिक परीक्षा उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की छाया प्रति बाह्य परीक्षक के माजदेय देयक/देयकों के साथ भुगतान हेतु आवश्यक रूप से सलग्नक प्रस्तुत करना होगा (ज्ञातव्य है कि गोपनीय शाखा में प्राप्त होने वाले अधिकांश देयक इस पुष्टि के बिना प्रस्तुत किये जाते हैं कि संबंधित परीक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की गयी है)।
- (3) प्रत्येक विषय की प्रायोगिक परीक्षाओं के नियमित/ए.टी.के.टी./पूर्व/स्वाध्यायी के प्राप्तांक विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र में श्रेणीवार पृथक-पृथक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ही विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा की ओर प्रेषित किये जावें।
- (4) प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करायी जाने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र के नियत स्थान पर बाह्य परीक्षक का नाम एवं मोबाइल क्रमांक की जानकारी आवश्यक रूप से अंकित की जावे जिससे आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक पुष्टि की जा सके।
- (5) समस्त महाविद्यालयों को विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है, कि वे विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथियों में ही प्रायोगिक परीक्षाएँ सम्पन्न करवाकर अंक निर्धारित तिथियों तक ऑनलाइन निर्धारित लिंक पर अपलोड करें तथा अकों की कागज प्रति (Hard Copy) भी गोपनीय शाखा में जमा करावें।
- (6) आफ-लाईन माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित छात्र/छात्राओं के प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी अकों की कागज प्रति (Hard Copy) भी गोपनीय शाखा में जमा करावें।
- (7) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक को प्रायोगिक परीक्षा उपरान्त नियुक्ति पत्र की छाया प्रति एवं महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित देयक के साथ प्रस्तुत किया जाने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन उपरान्त ही भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जावेगी। बिना नियुक्ति पत्र देयक स्वीकार्य नहीं होंगे।

अनुरोध है कि प्राचार्य/विभागाध्यक्ष (बी.बी.ए.षष्ठम छेड़कर) स्नातक षष्ठम एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर परियोजना/प्रोजेक्ट/इन्टर्नशिप की मौखिकी परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक से संपन्न कराए एवं जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान नहीं है, उन विषय की परियोजना/प्रोजेक्ट की मौखिकी परीक्षा हेतु महाविद्यालय स्तर पर विषय विशेषज्ञ बाह्य परीक्षक नियुक्त कर मौखिकी परीक्षा संपन्न करायेगे जिसकी लिखित रूप में सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।

विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक को प्रायोगिक परीक्षा उपरान्त नियुक्ति पत्र की छाया प्रति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर देयक के साथ प्रस्तुत किया जाने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन पश्चात् ही भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जावेगी। बिना नियुक्ति पत्र मान्य नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 575/09 सी.सी./अइतीस, भोपाल दिनांक 27.08.09 के तारतम्य विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2734-35/अकादमी/पाठ्यक्रम/अ-1/09 दिनांक 7.10.09 का पालन सुनिश्चित किया जावे जिसके अनुसार यदि विद्यार्थी किसी सत्र की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है और प्रायोगिक/सीसीई/परियोजना कार्य में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेता है तो उसे अगली परीक्षा में उस प्रायोगिक/सीसीई/परियोजना कार्य देने से छूट प्रदान की जाएगी। इस प्रकार विद्यार्थी द्वारा प्रायोगिक/सीसीई/परियोजना कार्य के अंक अगली परीक्षा में पूर्वांक के रूप में प्रविष्ट किये जायेंगे।

आपके महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों के महाविद्यालय स्तरीय अंक - आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना एवं मौखिकी के अंक भी अनुक्रमांक सहित विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपलोड किये जावें। उक्त समस्त अंकों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रविष्टि (upload) किये जाने के साथ-साथ समस्त प्रविष्टि किये गये पर्ण/प्रतिपर्ण की कागज प्रति (Hard copy) में विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में यथासंभव जमा कर निर्धारित प्रपत्र पर (तीन प्रतियों में) पावती प्राप्त की जाना अनिवार्य है।

महाविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं (प्रायोगिक, सत्र आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना कार्य, मौखिक परीक्षा) आदि में अनुपस्थित छात्रों की सूची की कागज प्रति (hard copy) आवश्यक रूप से दिनांक 15.06.2022 तक गोपनीय शाखा में जमा कर पावती प्राप्त की जावे।

आदेशानुसार,

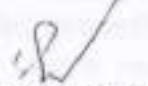

परीक्षा नियंत्रक

पू.क्रमांक: 244/गोपनीय/बिबि/महा.स्त.अंक/2022

भोपाल, दिनांक: 10/5/2022

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित कार्य सहायक, गोपनीय शाखा, बी और अक्षरक कार्यवाही हेतु।
2. सहायक कुलसचिव, (परीक्षा/गोपनीय), बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
3. कुलपतिजी के विज सचिव, को माध्यम से कुलपतिजी के सूचनाई।
4. कुलसचिवजी के सचिव, को माध्यम से कुलसचिव के सूचनाई।
5. प्रभारी, वेब प्रकोष्ठ, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की ओर इस निर्देश के साथ कि वे कृपया उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेब पर अपलोड करने के साथ साथ महाविद्यालयों की ई-मेल आईडी पर फरवर्ड करें। निर्धारित अंतिम तिथि तक महाविद्यालयों द्वारा ऑन लाईन अपलोड सी.सी.ई./प्रोजेक्ट अंक/मौखिक परीक्षा अंकों की तबलाग प्रति (Hard copy) आवश्यक रूप से गोपनीय शाखा को उपलब्ध करावें।
6. मान.आयुक्ता उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, बी विज, खलपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनाई।


उप-कुलसचिव (गोपनीय),
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: 303/गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक-/2022

भोपाल, दिनांक: 10/6/2022

//संशोधित अधिसूचना//

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालय ।

विषय: सेमेस्टर पद्धति स्नातकोत्तर द्वितीय एवं चतुर्थ सेमे0 सत्र 2021-22 की प्रायोगिक, सतत आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी परीक्षाएँ कराकर पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि में संशोधन संबंधी।

संदर्भ: अधिसूचना क्रमांक 243-244/गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक/2022 दिनांक: 10.05.22

महोदय/महोदया,

उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के माध्यम से स्नातकोत्तर द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर वर्ष 2021-22 की प्रायोगिक/ सीसीई/ परियोजना / मौखिकी परीक्षाएँ आयोजित किये जाने हेतु निर्धारित तिथि 10.06. 2022 से बढ़ाकर दिनांक 20.06.2022 तक की जाती है। प्रायोगिक परीक्षाएँ संपन्न कराकर अंक विश्वविद्यालय वेबसाईट पर प्रविष्ट करते हुए पर्ण/प्रतिपर्ण की कागज प्रति (Hard Copy) गोपनीय शाखा में दिनांक 25.06.2022 तक जमा करने का कष्ट करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत किसी भी परिस्थिति में अंक मान्य नहीं किए जा सकेंगे। जिसकी जवाबदारी स्वयं महाविद्यालय की होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त शर्तें/निर्देश यथावत/पूर्ववत् रहेंगे ।

आदेशानुसार,

परीक्षा नियंत्रक

पृ.क्रमांक: 304/गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक-/2022

प्रतिलिपि -

भोपाल, दिनांक: 10/6/2022

1. संबंधित कार्य सहायक, गोपनीय शाखा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. सहायक कुलसचिव, (परीक्षा/गोपनीय/अकादमी), बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।
3. कुलपतिजी के निज सचिव, के माध्यम से कुलपतिजी के सूचनार्थ ।
4. कुलसचिवजी के सचिव, के माध्यम से कुलसचिव के सूचनार्थ ।
5. प्रभारी, वेब प्रकोष्ठ, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की ओर इस निर्देश के साथ कि वे कृपया उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेब पर अपलोड करने के साथ साथ महाविद्यालयों की ई-मेल आईडी पर फॉरवर्ड करें । निर्धारित अंतिम तिथि तक महाविद्यालयों द्वारा ऑन लाईन अपलोड सी.सी.ई./प्रोजेक्ट अंक/मौखिक परीक्षा अंकों की कागज प्रति (Hard copy) आवश्यक रूप से गोपनीय शाखा को उपलब्ध करावे ।
6. आद्युक्त उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, की विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
7. वस्ती प्रति ।

५१

उप-कुलसचिव (गोपनीय),
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: 613 /गोपनीय/प्रा.प/ब.वि.वि./2021

भोपाल, दिनांक: 11-6-2021

प्राचार्य
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त महाविद्यालय

विषय:- कोविड-19 के संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं को ओपन बुक पद्धति से आयोजित करने के निर्देश।

सन्दर्भ:- कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 663/142/आउशि/शा-5अ/2021 दिनांक 31.05.2021

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के सन्दर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सत्र 2020-21 की प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में जारी निर्देशानुसार सैद्धांतिक परीक्षा उपरान्त शेष प्रायोगिक परीक्षाएँ दिनांक 30.06.2021 तक आयोजित कर छात्रों के प्राप्तांक पोर्टल पर प्रविष्टि कर दिनांक 05.07.2021 तक पूर्ण-प्रतिपूर्ण आवश्यक रूप से गोपनीय शाखा में जमा कराकर पावती प्राप्त की जावे।

उक्त प्रक्रिया में शासन द्वारा जारी कोविड-19 की गाईड लाइन का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 04, 05 एवं 06 का विवरण :-

बिन्दु क्रमांक-04

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर समस्त प्रायोगिक विषयों के लिये महाविद्यालय स्तर से सैशनल के प्रश्नों को नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये प्रेषित करते हुए ओपन बुक पद्धति उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त कर मूल्यांकन उपरान्त प्राप्तांकों को गुणानुक्रमित करते हुए संबंधित महाविद्यालय को प्राप्तांक प्रेषित किया जाए।

बिन्दु क्रमांक-05

ऐसे परीक्षार्थी जो आंतरिक मूल्यांकन में शामिल नहीं हुए हैं उनके आंतरिक मूल्यांकन ओपन बुक पद्धति के माध्यम से प्राप्त किए जाए।

बिन्दु क्रमांक-06

स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने प्रोजेक्ट अथवा असाइनमेन्ट जमा नहीं किया है उनके प्रोजेक्ट अथवा असाइनमेन्ट ओपन बुक पद्धति से स्वीकार किए जाए।

आदेशानुसार,

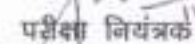

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक: 11-6-2021

पृ.क्रमांक: 614 /गोपनीय/प्रा.प/ब.वि.वि./2021

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. समस्त प्राचार्य, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों की ओर सूचनार्थ।
3. कुलपतिजी के निज सचिव, के माध्यम से कुलपतिजी के सूचनार्थ।
4. कुलसचिवजी के सचिव, के माध्यम से कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. सहायक कुलसचिव, (परीक्षा/गोपनीय/अकादमी), बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
6. प्रभारी, वेब प्रकोष्ठ, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की ओर इस निर्देश के साथ-कि वे कृपया उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेब पर अपलोड करने के साथ साथ महाविद्यालयों की ई-मेल आई.डी.पर फॉरवर्ड करें।
7. बस्ती प्रति।


परीक्षा नियंत्रक

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: 623/गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक/2021

भोपाल, दिनांक: 5.4.2021

// संशोधित अधिसूचना //

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालय ।

विषय: वार्षिक पद्धति स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष सत्र 2020-21 की प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी परीक्षाओं के आयोजन की तिथि में आंशिक संशोधन कर, अंक प्रेषित करने संबंधी।

महोदय/महोदया,

विषयान्तर्गत राज्य शासन द्वारा घोषित अकादमिक कैलेंडर के पालनार्थ वार्षिक पद्धति के अन्तर्गत सत्र 2020-21 स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षाएँ दिनांक 25.04.2021 तक आयोजित की जाना निर्धारित किया गया है। कृपया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों के सहयोग से निर्धारित तिथि तक प्रायोगिक परीक्षाएँ आयोजित कर अंक प्रविष्टि विश्वविद्यालय के वेब प्रकोष्ठ द्वारा आपके महाविद्यालय हेतु निर्धारित लिंक के माध्यम से विश्वविद्यालय वेब साइट www.bubhopal.ac.in पर परीक्षा आयोजन तिथि को ही अपलोड करवाने का कष्ट करें। प्रायोगिक परीक्षाएँ पर्ण/प्रतिपर्ण (foil/counter foil) केवल निर्धारित प्रपत्र पर आंतरिक परीक्षक एवं बाह्य परीक्षक के नाम, मोबाइल क्रमांक पते एवं हस्ताक्षरों के साथ प्रस्तुत किये जावें इनके अभाव में अंक स्वीकार्य नहीं होंगे।

- (1) स्नातक स्तर पर संचालित एक संकाय के समान विषय एवं समान पाठ्यक्रम के विभिन्न श्रेणी जैसे नियमित/स्वाध्यायी की प्रायोगिक परीक्षाएँ एक साथ सम्पन्न की जानी है, किन्तु प्रत्येक समूह की अधिकतम छात्र संख्या 120 (एक सौ बीस) से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- (2) प्रायोगिक परीक्षा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की छाया प्रति बाह्य परीक्षक के मागदेय देयक/देयकों के साथ भुगतान हेतु आवश्यक रूप से सलंग्न कर प्रस्तुत करना होगा (ज्ञातव्य है कि गोपनीय शाखा में प्राप्त होने वाले अधिकांश देयक इस पुष्टि के बिना प्रस्तुत किये जाते हैं कि संबंधित परीक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की गयी है)।
- (3) प्रत्येक विषय की प्रायोगिक परीक्षाओं के नियमित/ स्वाध्यायी विद्यार्थियों के प्राप्तार्थ विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र में श्रेणीवार पृथक-पृथक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ही विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा की ओर प्रेषित किये जावें।
- (4) प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करायी जाने के उपरांत निर्धारित प्रपत्र के नियत स्थान पर बाह्य परीक्षक का नाम एवं मोबाइल क्रमांक की जानकारी आवश्यक रूप से अंकित की जावे जिससे आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक पुष्टि की जा सके।
- (5) समस्त महाविद्यालयों को विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है, कि वे विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथि में ही प्रायोगिक परीक्षाएँ सम्पन्न करवाकर अंक निर्धारित तिथियों तक ऑनलाइन निर्धारित लिंक पर अपलोड करें तथा अकों की कागज प्रति (Hard Copy) भी गोपनीय शाखा में जमा करावें।

- (6) आफ-लाईन माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित छात्र/छात्राओं के प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी अंकों की कागज प्रति (Hard Copy) भी गोपनीय शाखा में जमा करावें।
- (7) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक को प्रायोगिक परीक्षा उपरान्त नियुक्ति पत्र की छाया प्रति एवं महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित देयक के साथ प्रस्तुत किये जाने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन उपरान्त ही भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जावेगी। बिना नियुक्ति पत्र देयक स्वीकार्य नहीं होंगे।

महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों के महाविद्यालय स्तरीय

अंक-आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना एवं मौखिकी के अंक भी अनुक्रमिक सहित विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपलोड किये जावें। उक्त समस्त अंकों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निर्धारित लिंक पर प्रविष्टि (upload) किये जाने के साथ-साथ समस्त प्रविष्टि किये गये पूर्ण/प्रतिपूर्ण की कागज प्रति (Hard copy) में विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में जमा कर निर्धारित प्रपत्र पर (तीन प्रतियों में) पावती प्राप्त की जाना अनिवार्य है।

महाविद्यालयस्तरीय परीक्षाओं (प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना कार्य, मौखिक परीक्षा) आदि में अनुपस्थित छात्रों की सूची की कागज प्रति (hard copy) आवश्यक रूप से दिनांक 30.04.2021 तक गोपनीय शाखा में जमा कर पावती प्राप्त की जावे, जिसके पश्चात् अंक स्वीकार नहीं किये जावेगें, जिसका पूर्ण दायित्व महाविद्यालय का होगा।

आदेशानुसार



कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय
भोपाल

पृ.क्रमांक: 684/गोपनीय/बवि/महा.स्त.अंक/2021

भोपाल, दिनांक: 5.4.2021

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित कार्य सहायक, गोपनीय शाखा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. सहायक कुलसचिव, (परीक्षा/गोपनीय/अकादमी), बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
3. कुलपतिजी के निज सचिव, के माध्यम से कुलपतिजी के सूचनार्थ।
4. कुलसचिवजी के सचिव, के माध्यम से कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. प्रभारी, वेब प्रकोष्ठ, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की ओर इस निर्देश के साथ कि वे कृपया उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेब पर अपलोड करने के साथ साथ महाविद्यालयों की ई-मेल आई.डी.पर फास्टवर्ड करें। निर्धारित अंतिम तिथि तक महाविद्यालयों द्वारा ऑन लाईन अपलोड सी.सी.ई./प्रोजेक्ट अंक/मौखिक परीक्षा अंकों की कागज प्रति (Hard copy) आवश्यक रूप से गोपनीय शाखा को उपलब्ध करावें।
6. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, बी विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
7. नस्ती प्रति।

उप-कुलसचिव (गोपनीय),
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: 223/गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक/2019

भोपाल, दिनांक: 3-4-2019

//अधिसूचना//

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालय ।

विषय: वार्षिक पद्धति स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष सत्र 2018-19 की प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी परीक्षाएँ आयोजित कर अंक प्रेषित करने संबंधी।

महोदय/महोदया,

विषयान्तर्गत वार्षिक पद्धति के अन्तर्गत सत्र 2018-19 स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षाएँ दिनांक 30.04.2019 तक आयोजित की जाना निर्धारित किया गया है। कृपया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों के सहयोग से निर्धारित तिथि तक प्रायोगिक परीक्षाएँ आयोजित कर अंक प्रेषित विश्वविद्यालय के वेब प्रकोष्ठ द्वारा आपके महाविद्यालय हेतु निर्धारित लिंक के माध्यम से विश्वविद्यालय वेब साइट www.bubhopal.ac.in पर परीक्षा आयोजन तिथि को ही अपलोड करवाने का कष्ट करें। प्रायोगिक परीक्षाएँ पर्ण/प्रतिपर्ण (foil/counter foil) केवल निर्धारित प्रपत्र पर आंतरिक परीक्षक एवं बाह्य परीक्षक के नाम, मोबाइल क्रमांक पते एवं हस्ताक्षरों के साथ प्रस्तुत किये जावें इनके अभाव में अंक स्वीकार्य नहीं होंगे।

- (1) स्नातक स्तर पर संचालित एक संकाय के समान विषय एवं समान पाठ्यक्रम के विभिन्न श्रेणी जैसे नियमित/स्वाध्यायी की प्रायोगिक परीक्षाएँ एक साथ सम्पन्न की जानी है, किन्तु प्रत्येक समूह की अधिकतम छात्र संख्या 120 (एक सौ बीस) से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- (2) प्रायोगिक परीक्षा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की छाया प्रति बाह्य परीक्षक के मानदेय देयक/देयकों के साथ भुगतान हेतु आवश्यक रूप से सलग्न कर प्रस्तुत करना होगा (ज्ञातव्य है कि गोपनीय शाखा में प्राप्त होने वाले अधिकांश देयक इस पुष्टि के बिना प्रस्तुत किये जाते हैं कि संबंधित परीक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की गयी है)।
- (3) प्रत्येक विषय की प्रायोगिक परीक्षाओं के नियमित/ स्वाध्यायी विद्यार्थियों के प्राप्त अंक विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र में श्रेणीवार पृथक-पृथक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ही विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा की ओर प्रेषित किये जावें।
- (4) प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करायी जाने के उपरांत निर्धारित प्रपत्र के नियत स्थान पर बाह्य परीक्षक का नाम एवं मोबाइल क्रमांक की जानकारी आवश्यक रूप से अंकित की जावे जिससे आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक पुष्टि की जा सके।
- (5) समस्त महाविद्यालयों को विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है, कि वे विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथि में ही प्रायोगिक परीक्षाएँ सम्पन्न करवाकर अंक निर्धारित तिथियों तक ऑनलाइन निर्धारित लिंक पर अपलोड करें तथा अकों की कागज प्रति (Hard Copy) भी गोपनीय शाखा में जमा करावें।

- (6) आफ-लाईन माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित छात्र/छात्राओं के प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी अंकों की कागज प्रति (Hard Copy) में गोपनीय शाखा में जमा करावें।
- (7) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक को प्रायोगिक परीक्षा उपरंत नियुक्ति पत्र की छाया प्रति एवं महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित देखक के साथ प्रस्तुत किये जाने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन उपरंत ही गुणतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जावेगी। बिना नियुक्ति पत्र देखक स्वीकार नहीं होंगे।

महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों के महाविद्यालय स्तरीय अंक - आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना एवं मौखिकी के अंक भी अनुक्रमों सहित विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपलोड किये जायें। उक्त समस्त अंकों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निर्धारित लिंक पर प्रविष्टि (upload) किये जाने के साथ-साथ समस्त प्रविष्ट किये गये पूर्ण/प्रतिपूर्ण की कागज प्रति (Hard copy) में विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में जमा कर निर्धारित प्रपत्र पर (तीन प्रतियों में) पावती प्राप्त की जाना अनिवार्य है।

महाविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं (प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना कार्य, मौखिक परीक्षा) आदि में अनुपस्थित छात्रों की सूची की कागज प्रति (hard copy) आवश्यक रूप से दिनांक 04.05.2019 तक गोपनीय शाखा में जमा कर पावती प्राप्त की जावे, जिसके पश्चात् अंक स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिसका पूर्ण दायित्व महाविद्यालय का होगा।

आदेशानुसार,
परीक्षा निबन्धक

पृ.क्रमांक: 224 /गोपनीय/बिबि/महा.स्त.अंक/2019

भोपाल, दिनांक: 2.4.2019

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित कार्य सहायक, गोपनीय शाखा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. सहायक कुलसचिव, (परीक्षा/गोपनीय/अकादमी), बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
3. कुलपतिजी के निज सचिव, के माध्यम से कुलपतिजी के सूचनार्थ।
4. कुलसचिवजी के सचिव, के माध्यम से कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. प्रभारी, वेब प्रकोष्ठ, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की ओर इस निर्देश के साथ कि वे कुपया उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेब पर अपलोड करने के साथ साथ महाविद्यालयों की ई-मेल आई.डी.पर फारवर्ड करें। निर्धारित अंतिम तिथि तक महाविद्यालयों द्वारा ऑन लाईन अपलोड सी.सी.ई. प्रोजेक्ट अंक/मौखिक परीक्षा अंकों की कागज प्रति (Hard copy) आवश्यक रूप से गोपनीय शाखा को उपलब्ध करावें।
6. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, श्री दिवा, सप्तपुष्पा भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
7. नस्ती प्रति।

उप-कुलसचिव (गोपनीय),
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: 790 /गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक/2017

भोपाल, दिनांक: 26.11.17

//अधिसूचना//

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालय ।

विषय: सेमेस्टर पद्धति (विषम सेमेस्टर) स्नातक प्रथम(ए.टी.के.टी), तृतीय,पंचम तथा स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर, वर्ष 2017-18 की प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी परीक्षाएँ आयोजित कर अंक प्रेषित करने संबंधी।

महोदय/महोदया,

विषयान्तर्गत राज्य शासन के द्वारा घोषित अकादमिक कैलेंडर के पालनार्थ सेमेस्टर पद्धति के अन्तर्गत सत्र 2017-18 स्नातक प्रथम(ए.टी.के.टी), तृतीय,पंचम तथा स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएँ दिनांक 30.11.2017 तक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाना निर्धारित किया गया है। प्रथम सेमेस्टर (ए.टी.के.टी), के अंक अनिवार्य रूप से 25.11.17 तक भेजना अनिवार्य है। कृपया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों के सहयोग से निर्धारित तिथि तक प्रायोगिक परीक्षाएँ आयोजित कर अंक प्रविष्टि विश्वविद्यालय के वेब प्रकोष्ठ द्वारा आपके महाविद्यालय हेतु निर्धारित लिंक के माध्यम से विश्वविद्यालय वेब साइट www.bubhopal.nic.in पर परीक्षा आयोजन तिथि को ही अपलोड करवाने का कष्ट करें। प्रायोगिक परीक्षाएँ पर्ण/प्रतिपर्ण (foil/counter foil) केवल निर्धारित प्रपत्र पर आंतरिक परीक्षांक एवं बाह्य परीक्षक के नाम, मोबाइल क्रमांक पते एवं हस्ताक्षरों के साथ प्रस्तुत किये जावें इनके अभाव में अंक स्वीकार्य नहीं होंगे।

- (1) स्नातक स्तर पर संचालित एक संकाय के समान विषय एवं समान पाठ्यक्रम के विभिन्न श्रेणी जैसे नियमित/ए.टी.के.टी./पूर्व/स्वाध्यायी की प्रायोगिक परीक्षाएँ एक साथ सम्पन्न की जानी है, किन्तु प्रत्येक समूह की अधिकतम छात्र संख्या 120(एक सौ बीस) से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- (2) प्रायोगिक परीक्षा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की छाया प्रति बाह्य परीक्षक के मानदेय देयक/देयकों के साथ भुगतान हेतु आवश्यक रूप से सलग्नक प्रस्तुत करना होगा (ज्ञातव्य है कि गोपनीय शाखा में प्राप्त होने वाले अधिकांश देयक इस पुष्टि के बिना प्रस्तुत किये जाते हैं कि संबंधित परीक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की गयी है)।
- (3) प्रत्येक विषय की प्रायोगिक परीक्षाओं के नियमित/ए.टी.के.टी./पूर्व/स्वाध्यायी के प्राप्तंक विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र में श्रेणीवार पृथक-पृथक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ही विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा की ओर प्रेषित किये जावें।
- (4) प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करायी जाने के उपरांत निर्धारित प्रपत्र के नियत स्थान पर बाह्य परीक्षक का नाम एवं मोबाइल क्रमांक की जानकारी आवश्यक रूप से अंकित की जावे जिससे आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक पुष्टि की जा सके।
- (5) समस्त महाविद्यालयों को विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है, कि वे विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथियों में ही प्रायोगिक परीक्षाएँ संपन्न करवाकर अंक निर्धारित तिथियों तक ऑनलाइन निर्धारित लिंक पर अपलोड करें तथा अकों की कागज प्रति (Hard Copy) भी गोपनीय शाखा में जमा करावें।
- (6) ऑफ-लाईन माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित छात्र/छात्राओं के प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी अकों की कागज प्रति (Hard Copy) भी गोपनीय शाखा में जमा करावें।

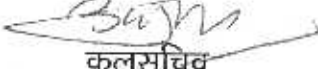
- (7) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक से ही परीक्षा कराये, तथा प्रायोगिक परीक्षा अंकों की कागज प्रति (**Hard Copy**) विश्वविद्यालय के गोपनीय कक्ष में जमा करते समय विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये बाह्य परीक्षक की सूची भी संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
- (8) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक को प्रायोगिक परीक्षा उपरान्त नियुक्ति पत्र की छाया प्रति एवं महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित देयक के साथ प्रस्तुत किया जाने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन उपरान्त ही भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जावेगी । बिना नियुक्ति पत्र देयक स्वीकार्य नहीं होंगे ।

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 575/09 सी.सी. /अइतीस, भोपाल दिनांक 27.08.09 के तारतम्य विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2734-35/अकादमी/पाठ्यक्रम/अ-1/09 दिनांक 7.10.09 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/पत्रों का पालन सुनिश्चित किया जावे, जिसके अनुसार यदि विद्यार्थी किसी सत्र की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है और प्रायोगिक/सीसीई/परियोजना कार्य में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेता है तो उसे अगली परीक्षा में उस प्रायोगिक/सीसीई/परियोजना कार्य देने से छूट प्रदान की जाएगी । इस प्रकार विद्यार्थी द्वारा प्रायोगिक/सीसीई/परियोजना कार्य के अंक अगली परीक्षा में पूर्वांक के रूप में प्रविष्ट किये जावेंगे ।

महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों के महाविद्यालय स्तरीय अंक - आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना एवं मौखिकी के अंक भी अनुक्रमांक सहित विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपलोड किये जावें । उक्त समस्त अंकों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निर्धारित लिंक पर प्रविष्टि (**upload**) किये जाने के साथ-साथ समस्त प्रविष्ट किये गये पर्ण/प्रतिपर्ण की कागज प्रति (**Hard copy**) में विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में जमा कर निर्धारित प्रपत्र पर (तीन प्रतियों में) पावती प्राप्त की जाना अनिवार्य है ।

महाविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं (प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना कार्य, मौखिक परीक्षा) आदि में अनुपस्थित छात्रों की सूची की कागज प्रति (**hard copy**) आवश्यक रूप से दिनांक 05.12.2017 तक गोपनीय शाखा में जमा कर पावती प्राप्त की जावे, जिसके पश्चात् अंक स्वीकार नहीं किये जावेंगे जिसका पूर्ण दायित्व महाविद्यालय का होगा ।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

पृ.क्रमांक: 791 /गोपनीय/बवि/महा.स्त.अंक/2017

भोपाल, दिनांक: 06.11.2017

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित कार्य सहायक, गोपनीय शाखा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. सहायक कुलसचिव, (परीक्षा/गोपनीय/अकादमी), बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।
3. कुलपतिजी के निज सचिव, के माध्यम से कुलपतिजी के सूचनार्थ ।
4. कुलसचिवजी के सचिव, के माध्यम से कुलसचिव के सूचनार्थ ।
5. प्रभारी, वेब प्रकोष्ठ, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की ओर इस निर्देश के साथ कि वे कृपया उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेब पर अपलोड करने के साथ साथ महाविद्यालयों की ई-मेल आई.डी.पर फारवर्ड करें । निर्धारित अंतिम तिथि तक महाविद्यालयों द्वारा ऑन लाईन अपलोड सी.सी.ई./प्रोजेक्ट अंक/मौखिक परीक्षा अंकों की कागज प्रति (**Hard copy**) आवश्यक रूप से गोपनीय शाखा को उपलब्ध करावें ।
6. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, बी दिंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
7. नस्ती प्रति ।


उप-कुलसचिव (गोपनीय),
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: २५१ / गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक/2018

भोपाल, दिनांक: 5-4-18

//अधिसूचना//

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालय ।

विषय: वार्षिक पद्धति स्नातक प्रथम वर्ष सत्र 2017-18 की प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी परीक्षाएँ आयोजित कर अंक प्रेषित करने संबंधी।

महोदय/महोदया,

विषयान्तर्गत वार्षिक पद्धति के अन्तर्गत सत्र 2017-18 स्नातक प्रथम, वर्ष की प्रायोगिक परीक्षाएँ दिनांक 20.04.2018 तक आयोजित की जाना निर्धारित किया गया है। कृपया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों के सहयोग से निर्धारित तिथि तक प्रायोगिक परीक्षाएँ आयोजित कर अंक प्रविष्टि विश्वविद्यालय के वेब प्रकोष्ठ द्वारा आपके महाविद्यालय हेतु निर्धारित लिंक के माध्यम से विश्वविद्यालय वेब साइट www.bubhopal.ac.in पर परीक्षा आयोजन तिथि को ही अपलोड करवाने का कष्ट करें । प्रायोगिक परीक्षाएँ पर्ण/प्रतिपर्ण (foil/counter foil) केवल निर्धारित प्रपत्र पर आंतरिक परीक्षक एवं बाह्य परीक्षक के नाम, मोबाइल क्रमांक पते एवं हस्ताक्षरों के साथ प्रस्तुत किये जावें इनके अभाव में अंक स्वीकार्य नहीं होंगे ।

- (1) स्नातक स्तर पर संचालित एक संकाय के समान विषय एवं समान पाठ्यक्रम के विभिन्न श्रेणी जैसे नियमित/स्वाध्यायी की प्रायोगिक परीक्षाएँ एक साथ सम्पन्न की जानी है, किन्तु प्रत्येक समूह की अधिकतम छात्र संख्या 120 (एक सौ बीस) से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
- (2) प्रायोगिक परीक्षा उपर्युक्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की छाया प्रति बाह्य परीक्षक के मानदेय देयक/देयकों के साथ भुगतान हेतु आवश्यक रूप से सलंगन कर प्रस्तुत करना होगा (ज्ञातव्य है कि गोपनीय शाखा में प्राप्त होने वाले अधिकांश देयक इस पुष्टि के बिना प्रस्तुत किये जाते हैं कि संबंधित परीक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की गयी है)।
- (3) प्रत्येक विषय की प्रायोगिक परीक्षाओं के नियमित/ स्वाध्यायी विद्यार्थियों के प्राप्तांक विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र में श्रेणीवार पृथक-पृथक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ही विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा की ओर प्रेषित किये जावें ।
- (4) प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करायी जाने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र के नियत स्थान पर बाह्य परीक्षक का नाम एवं मोबाइल क्रमांक की जानकारी आवश्यक रूप से अंकित की जावे जिससे आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक पुष्टि की जा सके।
- (5) समस्त महाविद्यालयों को विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है, कि ये विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथि में ही प्रायोगिक परीक्षाएँ सम्पन्न करवाकर अंक निर्धारित तिथियों तक ऑनलाइन निर्धारित लिंक पर अपलोड करें तथा अकों की कागज प्रति (Hard Copy) भी गोपनीय शाखा में जमा करावें।
- (6) आफ-लाईन माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित छात्र/छात्राओं के प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी अकों की कागज प्रति (Hard Copy) भी गोपनीय शाखा में जमा करावें।

- (7) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक को प्रायोगिक परीक्षा उपरांत नियुक्ति पत्र की छाया प्रति एवं महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित देयक के साथ प्रस्तुत किये जाने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन उपरांत ही भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जावेगी। बिना नियुक्ति पत्र देयक स्वीकार्य नहीं होंगे।

महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों के महाविद्यालय स्तरीय अंक - आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना एवं मौखिकी के अंक भी अनुक्रमांक सहित विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपलोड किये जावें। उक्त समस्त अंकों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निर्धारित लिंक पर प्रविष्टि (upload) किये जाने के साथ-साथ समस्त प्रविष्टि किये गये पर्ण/प्रतिपर्ण की कागज प्रति (Hard copy) में विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में जमा कर निर्धारित प्रपत्र पर (तीन प्रतियों में) पावती प्राप्त की जाना अनिवार्य है।

महाविद्यालयस्तरीय परीक्षाओं (प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना कार्य, मौखिक परीक्षा) आदि में अनुपस्थित छात्रों की सूची की कागज प्रति (hard copy) आवश्यक रूप से दिनांक 25.04.2018 तक गोपनीय शाखा में जमा कर पावती प्राप्त की जावे, जिसके पश्चात् अंक स्वीकार नहीं किये जावेंगे जिसका पूर्ण दायित्व महाविद्यालय का होगा।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

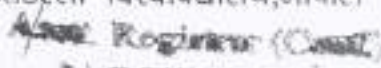
पृ.क्रमांक: 242/गोपनीय/बवि/महा.स्त.अंक/2018

भोपाल, दिनांक: 5.4.2018

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित कार्य सहायक, गोपनीय शाखा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. सहायक कुलसचिव, (परीक्षा/गोपनीय/अकादमी), बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
3. कुलपतिजी के निज सचिव, के माध्यम से कुलपतिजी के सूचनार्थ।
4. कुलसचिवजी के सचिव, के माध्यम से कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. प्रभारी, वेब प्रकोष्ठ, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की ओर इस निर्देश के साथ कि वे कृपया उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेब पर अपलोड करने के साथ साथ महाविद्यालयों की ई-मेल आई.डी.पर फारवर्ड करें। निर्धारित अंतिम तिथि तक महाविद्यालयों द्वारा ऑन लाईन अपलोड सी.सी.ई./प्रोजेक्ट अंक/मौखिक परीक्षा अंकों की कागज प्रति (Hard copy) आवश्यक रूप से गोपनीय शाखा को उपलब्ध करावें।
6. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, बी विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
7. नस्ती प्रति।


उप-कुलसचिव (गोपनीय),
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल


A. V. K. MORAL (C.A.)



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: 278 / गोपनीय/वर्षा/महा.स्त.अंक/2018

भोपाल, दिनांक: 16-11-18

//अधिसूचना//

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालय ।

विषय: सेमेस्टर पद्धति (समसेमेस्टर) स्नातक द्वितीय, (ए.टी.के.टी.), चतुर्थ, षष्ठ्य तथा स्नातकोत्तर द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर, वर्ष 2017-18 की प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट/इंटरनशिप एवं मौखिकी परीक्षाएँ आयोजित कर अंक प्रेषित करने संबंधी।
महोदय/महोदया,

विषयान्तर्गत राज्य शासन के द्वारा घोषित अकादमिक कैलेंडर के पालनार्थ सेमेस्टर पद्धति के अन्तर्गत सत्र 2017-18 स्नातक द्वितीय, (ए.टी.के.टी.) चतुर्थ, षष्ठ्य तथा स्नातकोत्तर द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएँ दिनांक 10.05.2018 तक आयोजित की जाना निर्धारित किया गया है । कृपया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों के सहयोग से निर्धारित तिथि तक प्रायोगिक परीक्षाएँ आयोजित कर अंक प्रविष्टि विश्वविद्यालय के वेब प्रकोष्ठ द्वारा आपके महाविद्यालय हेतु निर्धारित लिंक के माध्यम से विश्वविद्यालय वेब साइट www.bubhopal.ac.in पर परीक्षा आयोजन तिथि को ही अपलोड करवाने का कष्ट करें । प्रायोगिक परीक्षाओं का पूर्ण/प्रतिपूर्ण (foil/counter foil) निर्धारित प्रपत्र में आंतरिक परीक्षांक एवं बाह्य परीक्षक के नाम, पते एवं हस्ताक्षरों के साथ प्रस्तुत किये जावें, इन प्रविष्टियों के अभाव में अंक स्वीकार्य नहीं होंगे ।

- (1) स्नातक स्तर पर संचालित एक संकाय के समान विषय एवं समान पाठ्यक्रम के विभिन्न श्रेणी जैसे नियमित/ए.टी.के.टी./पूर्व/स्वाध्यायी की प्रायोगिक परीक्षाएँ एक साथ सम्पन्न की जानी है, किन्तु प्रत्येक समूह की अधिकतम छात्र संख्या 120 (एक सौ बीस) से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
- (2) प्रायोगिक परीक्षा उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की छाया प्रति बाह्य परीक्षक के मातृदेय देयक/देयकों के साथ भुगतान हेतु आवश्यक रूप से संलग्नक प्रस्तुत करना होगा (ज्ञातव्य है कि गोपनीय शाखा में प्राप्त होने वाले अधिकांश देयक इस पुष्टि के बिना प्रस्तुत किये जाते हैं कि संबंधित परीक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की गयी है)।
- (3) प्रत्येक विषय की प्रायोगिक परीक्षाओं के नियमित/ए.टी.के.टी./पूर्व/स्वाध्यायी के प्राप्तांक विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र में श्रेणीवार पृथक-पृथक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ही विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा की ओर प्रेषित किये जावें ।
- (4) प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करायी जाने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र के नियत स्थान पर बाह्य परीक्षक का नाम एवं मोबाइल फ़ॉन की जानकारी आवश्यक रूप से अंकित की जावे जिससे आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक पुष्टि की जा सके।
- (5) समस्त महाविद्यालयों को विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है, कि वे विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथियों में ही प्रायोगिक परीक्षाएँ संपन्न करवाकर अंक निर्धारित तिथियों तक ऑनलाइन निर्धारित लिंक पर अपलोड करें तथा अकों की कागज प्रति (Hard Copy) भी गोपनीय शाखा में जमा करावें।
- (6) आफ-लाईन माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित छात्र/छात्राओं के प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी अकों की कागज प्रति (Hard Copy) भी गोपनीय शाखा में जमा करावें।
- (7) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक को प्रायोगिक परीक्षा उपरान्त नियुक्ति पत्र की छाया प्रति एवं महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित देयक के साथ प्रस्तुत किया जाने पर ही विश्वविद्यालय

द्वारा सत्यापन उपरांत ही भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जावेगी । बिना नियुक्ति पत्र के कार्य नहीं होंगे ।

अनुरोध है कि प्राचार्य/विभागाध्यक्ष (बी.बी.ए.षष्ठान कोषाध्यक्ष) स्नातक षष्ठम एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर परियोजना/प्रोजेक्ट/इंटरनशिप की मौखिकी परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक से संपन्न कराए एवं जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान नहीं है, उन विषय की परियोजना/प्रोजेक्ट की मौखिकी परीक्षा हेतु महाविद्यालय स्तर पर विषय विशेषज्ञ बाह्य परीक्षक नियुक्त कर मौखिकी परीक्षा संपन्न करायेंगे जिसकी लिखित रूप में सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे ।

विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक को प्रायोगिक परीक्षा उपरांत नियुक्ति पत्र की छाया प्रति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर देखाए के साथ प्रस्तुत किया जाने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन पश्चात् ही भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जावेगी । बिना नियुक्ति पत्र मान्य नहीं होंगे ।

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 575/09 सी.सी. /अइतीस, भोपाल दिनांक 27.08.09 के तारतम्य विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2734-35/अकादमी/पाठ्यक्रम/अ-1/09 दिनांक 7.10.09 का पालन सुनिश्चित किया जावे जिसके अनुसार यदि विद्यार्थी किसी सत्र की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है और प्रायोगिक/सीसीई/परियोजना कार्य में न्यूनतम उत्तीर्णक प्राप्त कर लेता है तो उसे अगली परीक्षा में उस प्रायोगिक/सीसीई/परियोजना कार्य देने से छूट प्रदान की जाएगी । इस प्रकार विद्यार्थी द्वारा प्रायोगिक/सीसीई/परियोजना कार्य के अंक अगली परीक्षा में पूर्वांक के रूप में प्रविष्ट किये जायेंगे

आपके महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों के महाविद्यालय स्तरीय अंक - आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना एवं मौखिकी के अंक भी अनुक्रमांक सहित विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपलोड किये जावें । उक्त समस्त अंकों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रविष्टि (upload) किये जाने के साथ-साथ समस्त प्रविष्टि किये गये पर्ण/प्रतिपर्ण की कागज प्रति (Hard copy) में विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में यथासंभव जमा कर निर्धारित प्रपत्र पर (तीन प्रतियों में) पावती प्राप्त की जाना अनिवार्य है ।

महाविद्यालयस्तरीय परीक्षाओं (प्रायोगिक, सत्र आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना कार्य, मौखिक परीक्षा) आदि में अनुपस्थित छात्रों की सूची की कागज प्रति (hard copy) आवश्यक रूप से दिनांक 15.05.2018 तक गोपनीय शाखा में जमा कर पावती प्राप्त की जावे ।

आदेशानुसार,

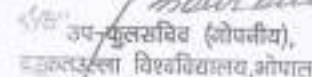

कुलसचिव

पृ.क्रमांक: 279 /गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक/2018

प्रतिनिधि :-

भोपाल, दिनांक: 16-4-2018

1. संबंधित कार्य सहायक, गोपनीय शाखा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. सहायक कुलसचिव, (परीक्षा/गोपनीय), बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।
3. कुलपतिजी के निज सचिव, के माध्यम से कुलपतिजी के सूचनाय ।
4. कुलसचिवजी के सचिव, के माध्यम से कुलसचिव के सूचनाय ।
5. प्रभार, विषय प्रायोगिक, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की ओर इस निर्देश के साथ कि वे कृपया उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेब पर अपलोड करने के साथ साथ महाविद्यालयों की ई-मेल आई.डी.पर फॉरवर्ड करें । निर्धारित अंतिम तिथि तक महाविद्यालयों द्वारा ऑन लाईन अपलोड सी.सी.ई./प्रोजेक्ट अंक/मौखिक परीक्षा अंकों की कागज प्रति (Hard copy) आवश्यक रूप से गोपनीय शाखा को उपलब्ध करावे ।
6. मान.आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, बी डीएम, सतपुरा भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनाय ।


उप-कुलसचिव (गोपनीय),
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



जबरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: 392/गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक-/2018

भोपाल, दिनांक: 8-5-18

//संशोधित अधिसूचना//

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,

जबरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालय ।

विषय: सेमेस्टर पद्धति (सम सेमेस्टर) स्नातक द्वितीय (ए.टी.के.टी), चतुर्थ, षष्ठम एवं स्नातकोत्तर द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर वर्ष 2017-18 की प्रायोगिक, सतत् आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी परीक्षाएँ कराकर पार्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि में संशोधन संबंधी।

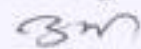
संदर्भ: अधिसूचना क्रमांक 278-279 /गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक/2018 दिनांक: 16.04.18।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के माध्यम से स्नातक द्वितीय (ए.टी.के.टी), चतुर्थ, षष्ठम तथा स्नातकोत्तर द्वितीय, तथा चतुर्थ सेमेस्टर वर्ष 2017-18 की प्रायोगिक/ सीसीई/ परियोजना / मौखिकी परीक्षाएँ आयोजित किये जाने हेतु विपरीत तिथि 10.05.2018 से बढ़ाकर दिनांक 20.05.2018 तक की जाती है। प्रायोगिक परीक्षाएँ संपन्न कराकर अंक विश्वविद्यालय वेबसाईट पर प्रविष्ट करते हुए पर्ण/प्रतिपर्ण की कागज प्रति (Hard Copy) गोपनीय शाखा में दिनांक 25.05.2018 तक जमा करने का कष्ट करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत किसी भी परिस्थिति में अंक मान्य नहीं किए जा सकेंगे। जिसकी जवाबदारी स्वयं महाविद्यालय की होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त शर्तें/निर्देश यथावत/पूर्ववत् रहेंगे ।

आदेशानुसार,

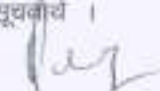

कुलसचिव

पृ.क्रमांक: 393/गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक-/2018

भोपाल, दिनांक: 8-5-18

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित कार्य सहायक, गोपनीय शाखा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. सहायक कुलसचिव, (परीक्षा/गोपनीय/अकादमी), जबरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।
3. कुलपतिजी के निज सचिव, के माध्यम से कुलपतिजी के सूचनाई ।
4. कुलसचिवजी के सचिव, के माध्यम से कुलसचिव के सूचनाई ।
5. प्रभारी, वेब प्रकोष्ठ, जबरकतउल्ला विश्वविद्यालय की ओर इस निर्देश के साथ कि वे कृपया उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेब पर अपलोड करने के साथ साथ महाविद्यालयों की ई-मेल आई.डी.पर फरवर्ड करें । निर्धारित अंतिम तिथि तक महाविद्यालयों द्वारा ऑन लाईन अपलोड सी.सी.ई./प्रोजेक्ट अंक/मौखिक परीक्षा अंकों की कागज प्रति (Hard copy) आवश्यक रूप से गोपनीय शाखा को उपलब्ध करावे ।
6. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, बी.डि.एम. सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनाई ।
7. नस्ती प्रति ।


उप-कुलसचिव (गोपनीय),
जबरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल